गुड्डीदेवी बनाम कृष्ण आदि
प्रकरण सं. 66/2011 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20/2/2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी कृष्ण वगैरह ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को जरिये वसीयत दिनांक 28.08.1995 के अपने पिता से प्राप्त हुई है। जिसकी जानकारी वादीगण को अच्छी तरह से थी जिसे छुपाकर वादीगण ने उक्त वाद पेश किया है। वादीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वसीयत दिनांक 28.08.1995 को निरस्त करवाने हेतु पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2022 को खारिज कर दिया है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। जिस कारण वाद भूमि प्रतिवादीगण की स्वअर्जित सम्पति है। इसलिये वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि काशीराम के नाम की खातेदारी भूमि थी काशीराम दिनांक 14.12.2005 को फौत हो चुका है। प्रतिवादीगण ने काशीराम के नाम दर्ज भूमि को फर्जी वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा ली है। वादीगण द्वारा उक्त वसीयत को निरस्त करवाने हेतु माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश किया था जिसमें हुए निर्णय की अपील भी वादीगण द्वारा की जा चुकी है। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में काशीराम की भूमि में से अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो राजस्व न्यायालय में क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि काशीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। काशीराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28.08.1955 को एक वसीयत प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। जिसकी पालना में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई। वादीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वसीयत को निरस्त करवाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादीगण के वादपत्र को खारिज किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है तथा वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज वादपत्र में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त भूमि पैतृक साबित होती हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद वादीगण मौजुदा स्थिति में खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकैन अपना अपना वहन करेंगे। आदेश आज दिनांक 20/2/2026 को सरे ईजलास सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sanjay Kumar Date: 2026.02.27 11:48:38 IST Reason: SelfAttested (संजय कुमार आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	